<u>फर्द–अहकाम</u>

<u>अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, सिकराय, जिला– दौसा, राजस्थान</u>

पीठासीन अधिकारी – अनामिका सारण (यूआईडी–आरजे00700)

(आरजेएस–जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या– 4/2023, सी.आई.एस. नं. – 4/2023

सी.एन.आर. नं. – आरजेडीएस180001682023

कमला देवी बनाम रामसिंह व अन्य

<u>दिनांकः 12.05.2025 :–</u>

1– वादी संख्या एक लगायत चार की ओर से अधिवक्ता श्री भानूप्रकाश शर्मा व वादी संख्या पांच की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या तीन लगायत सात के अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या आठ के अधिवक्ता श्री रामचंद्र वैष्णव एवं प्रतिवादी संख्या नौ के अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या दस व ग्यारह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। प्रतिवादी संख्या तीन लगायत सात के अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा ने वकालतनामा पेश करने को अवसर चाहा। पत्रावली में दिनांकः 29.03.2025 को प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी का जवाब वादीगण की ओर से पेश करना नहीं चाहा। उक्त प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या एक व दो का प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कहना है कि संशोधित वादपत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित आराजी को वादपत्र के पैरा संख्या 13 में संयुक्त परिवार की कोपार्सनरी कृषि भूमि होना व उक्त भूमि बाबत शून्य विक्रय पत्र में मालियत 7,22,584/–रुपये अंकित होना वादीगण का स्वीकृत तथ्य है जबकि उक्त आराजी मृतक सुरेश पुत्र सुरया की खातेदारी की भूमि रही है, जिसके विधिक वारिसान मृतक सुरेश की विवाहिता पत्नी जमना देवी के आपसी संसर्ग से उत्पन्न पुत्र संतान अभयसिंह आज दिन जीवित है, जिसको संशोधित वादपत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिसके कारण संशोधित वादपत्र पक्षकारान के संयोजन व कुसंयोजन के आधार पर विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा जिस विक्रय पत्र को संशोधित वाद पत्र प्रस्तुतकर्तागण द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी है, उसकी मालियत अनुरूप कोर्ट फीस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसके कारण भी वादीगण का वादपत्र विधि वर्जित होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधित वादपत्र को उपरोक्तानुसार खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

3– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण का मौखिक रूप से कथन रहा है कि सुरेश के जीवनकाल मं ही सुरेश की पत्नी सुरेश को छोडकर चली गयी तथा सुरेश के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं थी तथा सुरेश की मृत्यु के

बाद विरासत का नामान्तकरण सुरेश की बहिनों के नाम के नाम ग्राम पंचायत ने पूर्ण जांच कर खोला तथा जमाबंदी में सुरेश की बहिनों का इन्द्राज हो रहा है, इसलिए संशोधित वादपत्र में पक्षकारान का कोई कुसंयोजन नहीं है तथा वादपत्र से संबंधित पूर्ण कोर्ट फीस पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

4— उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया है तथा पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है।

5— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से मृतक सुरेश के जिस पुत्र का जीवित होना बताया गया है, उससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और पत्रावली पर जो तथ्य वर्तमान में हैं, उनके मुताबिक मृतक सुरेश की कोई संतान नहीं होना दर्शित होता है। इसके अलावा संशोधित वादपत्र से संबंधित कोर्ट फीस पूर्व वादपत्र में कमला देवी जरिए पॉवर ऑफ एटॉर्नी सरदारसिंह की ओर से प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार कोर्ट फीस का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है तथा अनुतोष भी संशोधित वादपत्र व पूर्व वादपत्र में समान हैं। अतः पुनः कोर्ट फीस का भुगतान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः दिनांकः 29.03.2025 को प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

6— पत्रावली में दिनांकः 20.05.2023 को प्रतिवादी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 11 सीपीसी लम्बित है, जिसके जवाब व बहस हेतु एवं प्रतिवादी संख्या तीन लगायत सात की ओर से अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांकः 23.05.2025 को पेश हो।

(अनामिका सारण)
अपर जिला न्यायाधीश
सिकराय, जिला—दौसा